न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 15/2025 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये विकान्त मथूरिया प्रवर्तन निरीक्षक भीलवाडा	बनाम	1. राधेश्याम खटीक पुत्र देवकिशन खटीक त्रिवेणी चोराहा, आई.सो.सी.एल. पेट्रोल पम्प के सामने, मातेश्वरी किराणा दुकान, त्रिवेणी माण्डलगढ जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी स्वयं उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 08.04.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि माण्डलगढ स्थित त्रिवेणी चौराहा आई सी सी एल पेट्रोल पम्प के सामने, मातेश्वरी किराणा दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर राधेश्याम खटीक दुकान पर उपस्थित मिले। मौके पर 27 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 रिफलिंग मशीन पायी गयी। विपक्षी से इस संबंध में कागजात के लिए पूछा गया तो उन्होनें कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया। इस प्रकार आरोपी राधेश्याम खटीक द्वारा घरेलू सिलेण्डर का एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन हैं कि जब्तशुदा 27 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.03.2025 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी स्वयं उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि निरीक्षण के दौरान आरोपी राधेश्याम खटीक द्वारा घरेलू सिलेण्डर का एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन हैं कि जब्तशुदा 27 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर उसके नही हैं एवं न ही उसके द्वारा कोई गैस रिफरिलंग का कार्य किया जाता हैं। उक्त प्रकरण में विपक्षी की कोई गलती नहीं हैं। विपक्षी के विरूद्व प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका (फर्द जब्ती) पर हस्ताक्षर किये एवं घरेलू गैस का अन्य कार्य किये जाने का जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस का अन्य रूप से कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा 27 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 रिफलिंग मशीन को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा 27 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा 27 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 रिफलिंग मशीन का अन्तिम निस्तारण कर जरिये निलामी (बाजार दर से कम नही होना चाहिये) राशि राजकोष में जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा